

## प्रूप 23

### (दिल्ली नियम 35 ख का उपनियम (1)) गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

\*वार्ड संख्या----- से ----- ग्राम पंचायत के पंच-

\*सरपंच ग्राम पंचायत-----

\*वार्ड संख्या ----- से ----- पंचायत समिति के सदस्य

\*वार्ड संख्या ----- से ----- जिला परिषद् के सदस्य का निर्वाचन

मैं, ----- जो उपर्युक्त निर्वाचन में उम्मीदवार हूं ----- का जो उपर्युक्त उम्मीदवार है/निर्वाचन अभिकर्ता हूं इसके द्वारा----- (नाम तथा पता) को ----- पर स्थित मतदान केन्द्र संख्या ----- पर हाजिर रहने के लिए गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं।

स्थान-----  
तिथि ----- उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं/हम गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूं/हैं।

स्थान-----  
तिथि ----- गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

रिटनिंग अधिकारी के सामने हस्ताक्षरित की जाने वाली घोषणा

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/हम उपरोक्त निर्वाचन में अधिनियम द्वारा वा इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी कार्य नहीं करूंगा/करेंगे।

मेरे सामने हस्ताक्षरित किया गया  
स्थान -----  
तिथि -----

गणन अभिकर्ता/अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर  
रिटनिंग आफिसर (पंचायत) के हस्ताक्षर

\*जो लागू न हो उसे काट दें।